



# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

पत्रांक:-

०६:०१:५१:०१:२०१६ ६६४७

दावा/दिनांक : २/७/१८

प्रेषक,

पंकज कुमार,  
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,  
राज्य खाद्य निगम,  
बिहार ।

विषय :-

क्षति/गबन के मामले में संबंधित कर्मियों के विरुद्ध तुरंत प्राथमिकी एवं नीलामपत्र वाद दायर करने तथा वसूली की कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग:-

मुख्यालय पत्रांक-७२१८ दिनांक-१०.०८.२०१०, पत्रांक २२६९ दिनांक ०५.०३.२०१३ एवं पत्रांक ४९०७ दिनांक १७.०५.२०१८ ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, ऐसा देखा जा रहा है कि निगम गोदामों में काफी मात्रा में खाद्यान्न की क्षति/गबन रहने के बावजूद भी निगम कार्मिकों के विरुद्ध क्षति/गबन, ब्याज एवं असमायोजित अग्रिम राशि का आकलन एवं इसकी वसूली की कार्रवाई संबंधित कर्मों के सेवा काल में जिला प्रबंधकों द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि एतत्संबंधी विभिन्न पत्रों द्वारा जिला प्रबंधकों को निदेशित किया गया है। निगम गोदामों में क्षति/गबन पाये जाने के बावजूद भी जिला प्रबंधकों द्वारा संबंधित कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं नीलामपत्र वाद दायर करने में भी शिथिलता बरती जा रही है। प्राथमिकी एवं नीलामपत्र वाद दायर करने में विलंब होने की स्थिति में संबंधित कर्मियों को गोदाम अभिलेखों से छेड़-छाड़ करने एवं क्षति/गबन से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट/गायब करने का मौका मिल जाता है। क्षति/गबन में निहित राशि की वसूली हेतु नीलामपत्र वाद/प्राथमिकी दायर करने में विलंब के लिए जिला प्रबंधक जिम्मेवार होंगे।

ज्ञातव्य है कि प्रासंगिक ज्ञापांक ७२१८ दिनांक १०.०८.२०१० के अनुसार दिनांक ०१.०४.२००९ के प्रभाव से निगम गोदामों में खाद्यान्न की होने वाली क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की कमी की वसूली संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित आर्थिक दर पर करने एवं मूल वसूलनीय राशि पर पूर्व प्रतिपादित नियम के आलोक में ब्याज की वसूली संबंधित पदाधिकारी/कार्मिक एवं खाद्यान्न परिवहन के दौरान पाई गयी कमी के लिए परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता से वसूल करने की स्वीकृति निगम निदेशक पक्ष से प्राप्त है।

सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को तीन माह पूर्व अपने पदस्थापित सभी जिला से पूर्ण पदस्थापन काल का क्षति/गबन एवं अन्य प्रकार की वसूलनीय राशि एवं उसके विरुद्ध हुई वसूली की वर्षवार विवरणी प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दावा शाखा निगम मुख्यालय को समर्पित करने तथा ऐसा नहीं किये जाने पर सेवान्त लाभ की राशि के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित जिला प्रबंधक एवं सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिक दोनों को जिम्मेवार होने के संबंध में पूर्व में ही प्रासंगिक पत्रांक-२२६९

दिनांक-05.03.2013 एवं 4907 दिनांक 17.08.2018 द्वारा स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है ।

अतः उपर वर्णित स्थिति में निदेश है कि:-

1. निगम कर्मियों के विरुद्ध उनके सेवाकाल में ही गोदाम का प्रभार के आदान-प्रदान के समय तथा समय-समय पर गोदामों का निरीक्षण एवं गोदाम अभिलेखों की जाँच कर आर्थिक दर पर क्षति/गबन की राशि एवं असमायोजित अग्रिम की वसूलनीय राशि का आकलन करते हुए विभागीय कार्यवाही ससमय कर सूद सहित इसकी वसूली की कार्रवाई कार्मिक को भुगतयेय राशि यथा वेतन, सेवान्त लाभ इत्यादि से की जाय । आवश्यक होने पर इस हेतु प्राथमिकी एवं नीलामपत्रवाद दायर करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि गोदाम अभिलेखों में किसी प्रकार का छेड़-छाड़ न हो। कार्मिकों का स्थानान्तरण होने पर उनके विरुद्ध वसूलनीय राशि की सूचना स्पष्ट रूप से उनके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में भी अंकित करें, ताकि राशि की वसूली स्थानान्तरित जिला में हो सके।

2. कई मामलों में क्षति/गबन की राशि कर्मियों को भुगतयेय वेतन आदि/सेवान्त लाभ से काफी अधिक होता है। ऐसी परिस्थिति में नीलामपत्रवाद दायर करने के साथ इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया जाता है(नीलामपत्रवाद के साथ वसूली के स्रोत का उल्लेख नहीं रहता है, जबकि ऐसे कर्मियों या संलिप्त व्यक्ति द्वारा उक्त राशि से कई अन्य सम्पत्तियों का सृजन किये जाने का दृष्टान्त सामने आया है)। अतः प्राथमिकी दर्ज करते समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में वार्षिक Declaration of Assets and Liabilities की प्रति प्राप्त कर उसका उल्लेख प्राथमिकी एवं नीलामपत्रवाद में किया जाय, ताकि BIHAR CERTIFICATE MANUAL की धारा 12,13,14 एवं 15 के तहत उन परिसम्पत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई B&O Public Demands Recovery Act-1914 की धारा-18 के अधीन हो सके। धारा-15 एवं 18 के प्रावधान निम्न प्रकार है:-

15. Modes of execution- Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, a Certificate Officer may order execution of a certificate-

(a) by attachment, and sale, if necessary, of any property, or, in the case of immovable property, by sale without previous attachment, or

(b) by arresting the Certificate-debtor and detaining him in civil prison, or

(c) by both of the methods mentioned in clauses (a) and (b).

Explanation to clause (c).- The Certificate Officer may, in his discretion, refuse execution at the same time against the person and property of the certificate-debtor.

धारा-18. Property liable to attachment and sale in execution of a certificate.- (1) The following property is liable to attachment and sale in execution of a certificate under this Act, namely lands, houses or other buildings, goods, money, bank-notes, cheques, bills of exchange, hundies, promissory notes, Government securities, bonds or other securities for money, debts, shares in Corporation and save as hereinafter mentioned, all other saleable property, movable or immovable belonging to the certificate-debtor, or over which or the profits of which, he has a disposing power which he may exercise for his own benefit,

whether the same be held in the name of the certificate-debtor or by any other person in trust for him or on his behalf.

Note.- Under Sections 2 (1) (a) and (b) and 33 of the Bengal Settled Estates Act, 1904, immovable property, securities and heir looms forming part of an estate settled under that Act can only be sold under the certificate procedure with the Special sanction of the State Government :

Provided that the following particulars shall not be liable to such attachment or sale namely:

- (a) the necessary wearing-apparel, cooking vessels, beds and bedding of the certificate-debtor, his wife and children, and such personal ornaments as, in accordance with religious usage, cannot be parted with by any woman;
- (b) tools of artizans and where the certificate-debtor is an agriculturist his implements of husbandry and such cattle and seed grain as may, in the opinion of the Certificate Officer, be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agricultural produce or as of any class of agricultural produce may have been declared to be free from liability under the provision of the next following section;
- (c) houses and other buildings (with the materials & the site thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment) belonging to and agriculturist and occupied by him;
- (d) books of account;
- (e) a mere right to sue for damages;
- (f) any right of personal service;
- (g) stipends and gratuities allowed to pensioners of the Government or payable out of any service family pension fund notified in the Official Gazette by the Central or any State Government in this behalf and political pensions;
- (h) allowances (being less than salary) of any public officer or of any servant of a railway company or local authority while absent from duty;
- (i) the salary or allowances equal to salary of any such public officer or servant as is referred to in clause (h), while on duty, to the extent of-
  - i. the whole of the salary where the salary does not exceed twenty rupees monthly;
  - ii. twenty rupees monthly, where the salary exceeds twenty rupees and does not exceed forty rupees monthly; and
  - iii. one moiety of the salary in any other case;
- (j) the pay and allowances of persons to whom the Indian Articles of war apply;
- (k) all compulsory deposits and other sums in or derived from any fund to which the Provident Funds Act, 1897 (Act IX of 1897) for the time being applies in so far as they are declared by the said Act not to be liable to attachment;

- (l) the wages of labourers and domestic servants whether payable in money or in kind;
- (m) an expectancy of succession by survivorship or other merely contingent or possible right or interest;
- (n) a right future maintenance;
- (o) any allowance declared by any Indian law in force in the State, to be exempt from liability of attachment or sale in execution of a decree;
- (p) where the Certificate debtor is a person liable for the payment of land revenue, and movable property which, under any law for the time being applicable to him, is exempt from sale for the recovery of an arrear of such revenue, and
- (q) any immovable property which, under the Tenancy law for the time being in force in the local area in which the Certificate is to be executed, would not have been liable to sale had the certificate been a decree of a court of ordinary jurisdiction.

Explanation- the particulars mentioned in clauses (g), (h), (i), (j), (l) and (o) are exempt from attachment or sale whether before or after they are actually payable.

(1) Nothing in this section shall be deemed

(a) to exempt houses and other buildings (with the materials and the sites thereof and the lands immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment) from attachment or sale in execution of certificates for rent of any such house building, site or land; or

(b) to affect the provisions of the Army Act or of any similar law for the time being in force.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का भी अनुसरण सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

  
(पंकज कुमार)  
प्रबंध निदेशक ।